

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2236] No. 2236] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2018/ज्येष्ठ 30, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2018/JYAISTHA 30, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

का.बा. 2969 (ब):— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसुचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 34 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, नामत:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"34	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [किमी 9.4 से किमी 22.300 (हैदराबाद - बंगलुरु खंड], सं. 9 [नए रारा 65 के	
	किमी 40.000 से आ. प्र. सीमा और किमी 423.800 से किमी 493.000 (कर्नाटक सीमा- सांगारेड्डी खंड)	सरकार"
	तक खंड को छोड़कर], सं. 16, (नई रारा सं. 63), नई रारा सं. 163 [किमी 18.600 से किमी 150.00	
	(हैदराबाद – यादगिरी – वारंगल खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 221 (नई रारा सं. 30) [किमी 71.200	
	से किमी 121.00 (आं. प्र. सीमा से रुद्रमपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 222 [नई रारा सं. 61]	
	(महाराष्ट्र सीमा से जगतियाल) (नया रारा 44)], {[किमी 615.00 से किमी 665.60 तक खंड को	

3432 GI/2018 (1)

छोड़कर}] महा./आं. प्र. सीमा कल्याण –िर्मल खंड), नई रारा सं. 167, नई रारा सं. 353सी [िसरोंचा (महाराष्ट्र सीमा) से आत्माकुर (नई रारा सं. 163) तक], नई रारा सं. 565 [आ. प्र. सीमा – नलगोंडा-नकरेक्कल (नई रारा 65 तक)], नई रारा सं. 765 [िकमी 23.00 से किमी 108.800 (हैदराबाद – डिंडी खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 365 {(िकमी 72.60 से किमी 121.00 (तन्नमचेरला – जमंडलापल्ली खंड) और किमी 154.00 से किमी 187.00 (मंगलवारपेट- मल्लमपल्ली खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 150 (कर्नाटक सीमा के भीतर दोनों ओर), नई रारा सं. 161बी, नई रारा सं. 353बी, नई रारा सं. 363, नई रारा सं. 365ए [कोदाद (नई रारा सं. 65) - खम्मम - कर्वी/महबूबाबाद (नई रारा सं. 365 तक)], नई रारा सं. 365बी, नई रारा सं. 563, नई रारा सं. 161बीबी [िकमी 0.00 से किमी 38.700 (मडनूर – रदरूर - बोधन खंड) तक खंड को छोड़कर] और नई रारा सं. 765डी के उतने भाग जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित हैं।

[फा.सं. एनएच-14013/9/2014-पीएंडएम] राजेश गृप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं. का.आ. 1969(अ), दिनांकित 17 मई, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2018

S.O. 2969(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions by bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 34 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"34	So much of National Highways No. 7 [from Km 9.4 to Km 22.300 (Hyderabad-Bangaluru section],	State Government of
	No. 9 [New NH 65 excluding from Km 40.000 to AP Border and from km 423.800 to km 493.000	Telangana."
	(Karnataka Border – Sangareddy section), No. 16 (new NH No.63) new NH No. 163,[excluding from	
	Km 18.600 to Km 150.00 (Hyderabad-Yadgiri-Warangal section], No.221[(New NH No.30)]	
	excluding from Km 71.200 to Km 121.00(AP Border to Rudrampur Section)], No.222 [New NH	
	No.61] (Maharashtra Border to Jagityal) (New NH-44)] {[excluding from Km 615.00 to Km 665.60]	
	Mah/AP border Kalyan-Nirmal Section), New NH No.167, New NH No. 353C [from Sironcha	
	(Maharastra border) to Atmakur (New NH 163)], New NH No.565 [from AP Border-Nalgonda-	
	Nakrekal (New NH-65)], New NH No.765 {excluding from km 23.00 to km 108.800 (Hyderabad –	
	Dindi Section)}, New NH No.365 {(excluding from Km 72.60 to Km 121.00 (tannamcherla-	
	Jamandlapally section) and from Km. 154.00 to 187.00 Mangalwarpet-Mallampalli Section)}, New	
	NH No.150 (within Karnataka Border on either side), New NH No. 161B, New NH No.353B, New	
	NH No.363, New NH No.365A [from Kodad (New NH-65) –Khammam-Karvi/Mahbubabad (New	
	NH-365)], new NH No. 365B ,New NH No.563, new NH No. 161BB [excluding from km 0.00 to	
	km 38.700 (Madnur-Rudrur-Bodhan Section)] and new NH No. 765D as are situated within the	
	State of Telangana.	

[F.No. NH-14013/9/2014-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1969 (E), dated the 17th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

का.बा. 2970(ब):— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
161बीबी	मडनूर – रुदरूर - बोधन खंड	किमी 0.00 से किमी 38.700
	(तेलंगाना राज्य में)	

[फा.सं. एनएच-14013/9/2014-पी एंड एम] राजेश गृप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2018

S.O. 2970(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
161BB	Madnur-Rudrur-Bodhan Section (In the State of Telangana)	Km 0.00 to km 38.700

[F.No. NH-14013/9/2014-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.